प्रेस नोट दिनांक : 08.09.2026

थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ।

थाना लालगंज पुलिस की तत्परता से साइबर फ्रॉड की ₹10,000/- की सम्पूर्ण धनराशि करायी गयी वापस

प्रतापगढ़
साइबर अपराध के एक प्रकरण में थाना लालगंज क्षेत्र के एक व्यक्ति निवासी ग्राम पुरवारा जनपद प्रतापगढ के साथ साइबर फ्रॉड के माध्यम से ₹10,000/- की धनराशि की धोखाधड़ी की गयी थी। प्रकरण की जानकारी प्राप्त होने पर थाना लालगंज पुलिस द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा संबंधित बैंक एवं साइबर माध्यमों से समन्वय स्थापित कर ठगी गयी धनराशि को होल्ड/रिकवर कराने हेतु प्रभावी प्रयास किये गये।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं साइबर फ्रॉड के पीड़ितों की धनराशि वापस कराने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना लालगंज पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड के एक प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही करते हुए पीड़ित की ठगी गयी ₹10,000/- की सम्पूर्ण धनराशि वापस करायी गयी।

थाना लालगंज पुलिस द्वारा MRM के माध्यम से त्वरित कार्यवाही करते हुए साइबर फ्रॉड की सम्पूर्ण धनराशि ₹10,000/- पीड़ित को वापस करायी गयी। धनराशि वापस प्राप्त होने पर पीड़ित द्वारा थाना लालगंज पुलिस की तत्परता एवं कार्यवाही की सराहना की गयी।

पुलिस टीम-
उप निरीक्षक बनवारी लाल पाल
कम्प्यूटर ऑपरेटर ज्ञान प्रकाश सिंह
कांस्टेबल जावेद अख्तर

पुलिस की अपील-
साइबर अपराध होने की स्थिति में घबरायें नहीं और तत्काल साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर शिकायत दर्ज करायें।
किसी भी अज्ञात व्यक्ति के फोन कॉल, मैसेज अथवा व्हाट्सऐप पर प्राप्त लिंक पर क्लिक न करें तथा OTP, ATM/डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI PIN, CVV एवं बैंक खाते से संबंधित गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें।
ऑनलाइन लेन-देन करते समय विशेष सावधानी बरतें तथा किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि होने पर तत्काल संबंधित बैंक एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 पर सूचना दें।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना रानीगंज के उ0नि0 अवधेश कुमार यादव मय हमराह कां0 योगेन्द्र सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन, तलाश वांछित, वारंटी के दौरान मु0न0 1713986/04 बनाम कल्पनाथ आदि अन्तर्गत धारा- 324,325,323,504,506 भदवि थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र राम खेलावन निवासी ग्राम कहला थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 60 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01.अशोक कुमार पुत्र राम खेलावन निवासी ग्राम कहला थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 60 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अवधेश कुमार यादव मय हमराह कां0 योगेन्द्र सिंह, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में 01 NBW/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा 01 NBW/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर अनुराग मिश्रा पुत्र रमाकान्त मिश्रा उम्र करीब 52 वर्ष, निवासी ग्राम रूपनपुर (औरंगाबाद), पोस्ट सैफाबाद, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ को जलपा नहर तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध धारा 138 एनआई एक्ट में एनबीडब्ल्यू जारी किया गया था। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारण्ट से अवगत कराते हुए नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-अनुराग मिश्रा पुत्र रमाकान्त मिश्रा, उम्र करीब 52 वर्ष, निवासी ग्राम रूपनपुर (औरंगाबाद), पोस्ट सैफाबाद, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 योगेन्द्र सिंह मय हमराह उ0नि0 रियाजूद्दीन अहमद, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में गैर इरादतन हत्या के अभियोग में 04 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 04.09.2026 को ग्राम जहानाबाद, थाना हथिगवां में मजदूरी के पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद हुआ था। उक्त विवाद के दौरान मारपीट में घायल व्यक्ति की उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी थी। प्रकरण में थाना हथिगवां पर धारा 105/3(5)/115(2)/352/351(3) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक हथिगवां श्री सत्येन्द्र सिंह मय पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 08.09.2026 को मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित 04 अभियुक्तों को जहानाबाद फ्लाईओवर के नीचे श्रीनगर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान राजू उर्फ राजकुमार गौतम पुत्र होरीलाल गौतम उम्र करीब 40 वर्ष, हेमन्त गौतम पुत्र राजू उर्फ राजकुमार गौतम उम्र करीब 19 वर्ष, सुनीता पत्नी राजू उर्फ राजकुमार गौतम उम्र करीब 38 वर्ष एवं बाल अपचारी अभियुक्ता, निवासीगण ग्राम जहानाबाद, थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़ के रूप में हुई।

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि मजदूरी के पैसे मांगने गयी थी, जिसको लेकर विवाद होने के बाद वे लोग उसके साथ संबंधित व्यक्ति के घर गये थे। इसी दौरान विवाद एवं मारपीट हुई, जिसमें चोट लगने के बाद उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए अभियुक्तगण बाहर जाने हेतु हाईवे की तरफ जा रहे थे, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

गिफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरण-
01-राजू उर्फ राजकुमार गौतम पुत्र होरीलाल गौतम उम्र करीब 40 वर्ष,
02-हेमन्त गौतम पुत्र राजू उर्फ राजकुमार गौतम उम्र करीब 19 वर्ष,
03- सुनीता पत्नी राजू उर्फ राजकुमार गौतम उम्र करीब 38 वर्ष
04-बाल अपचारी अभियुक्ता, निवासीगण ग्राम जहानाबाद, थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़

बरामदगी-
अभियुक्तों के कब्जे/निशानदेही से घटना में प्रयुक्त 01 अदद लकड़ी की फट्टी (आलाकत्ल) बरामद की गयी, जिसे नियमानुसार सील सर्वमोहर किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम: प्रभारी निरीक्षक सत्येन्द्र सिंह, उ0नि0 राधेश्याम सिंह, उ0नि0 अजय कुमार, म0उ0नि0 राखी सिंह, का0 आशीष तिवारी, म0का0 पूजा एवं चालक का0 हर्षवर्धन सिंह, थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़

शांति व्यवस्था भंग करने पर 01 अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार

दिनांक 08.09.2026 को थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण एवं जांच प्रार्थना पत्र के दौरान ग्राम बड़ी खरवई में प्रथम पक्ष की आवेदिका मंजू देवी पत्नी पवन कुमार एवं द्वितीय पक्ष के दिलीप गौतम पुत्र मूलचन्द्र गौतम, निवासी ग्राम बड़ी खरवई, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़ के मध्य मनगढ़ंत बातों को लेकर आरोप-प्रत्यारोप एवं वाद-विवाद की सूचना पर मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया गया। प्रथम पक्ष द्वारा पुलिस की बात मानकर शांति कर ली गई, जबकि द्वितीय पक्ष का दिलीप गौतम और अधिक उत्तेजित होकर आमादा फौजदारी होने लगा। शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत पुलिस द्वारा अभियुक्त दिलीप गौतम (उम्र करीब 25 वर्ष) को अन्तर्गत धारा 170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत मौके से हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध चालानी रिपोर्ट तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त:
दिलीप गौतम पुत्र मूलचन्द्र गौतम, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी ग्राम बड़ी खरवई, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम:
उ0नि0 मारकण्डेय सिंह यादव एवं उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।